कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

पत्रांकः वै0सहा0:मान्यता/3352-53/2022–23 दिनांकः 13-7-22

सेवा में,

प्रबंधक,

एस0एस0चिल्ड्रन एकेडमी, **(S.S. CHILDREN ACADEMY)** (अंग्रेजी माध्यम)

कॉठ रोड, अपोजिट गवर्मेन्ट पॉलिटैनिक, नगरक्षेत्र–मुरादाबाद।

विषयः **विद्यालय को स्थायी मान्यता के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने प्रत्यावेदन दिनांक 11.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने अपने विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांकः/ENUPS–581/19/ 2019–20 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा **कक्षा–नर्सरी से कक्षा–8 तक अंग्रेजी माध्यम** की तीन वर्ष के लिए प्रदत्त औपबन्धिक मान्यता को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

आपके उक्त संदर्भित प्रत्यावेदन के संबंध में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 08.07.2022 में मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2013 का परीक्षण/अवलोकन किया गया। शासनादेश के बिन्दु 15 में वर्णित है कि **''प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।''**

अतः शासनादेश में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आपके विद्यालय का मान्यता शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में संज्ञानित नहीं हुआ है, अतैव उक्त शासनादेश के निर्देशों के क्रम में मण्डलीय समिति में लिये गये निर्णय अनुसार आपकी संस्था को प्रदत्त मान्यता स्थायी प्रकृति की मानी जाएगी। यदि कोई तथ्यगोपन प्रकाश में आता है तो उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। साथ ही आपकी संस्था को समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/विभागीय निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उक्तानुसार संज्ञानित होना चाहें।

(बुद्ध प्रिय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृ0सं0/वै0सहा0/मान्यता/ /2022–23 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि मण्ड़लीय सहायक शिक्षा निदेश्क (बेसिक), द्वादश मण्ड़ल, मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।